



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224056  
CG-DL-E-31122020-224056

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 381]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धि पत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

मामला सं. सीवीडी-08/2020

**विषय:** मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से कॉपर ट्यूब्स और पाइप्स के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क जांच।

**फा. सं. 04/10/2020-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आंकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 के संबंध में प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध सब्सिडीरोधी जांच के संबंध में, दिनांक 25 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं.04/10/2020-डीजीटीआर के अनुसार जारी जांच शुरूआत अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 4 को निम्नानुसार पठन के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

4. उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 74 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 74111000, 74112100, 74112200 और 74112900 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

बी.बी.स्वेन, विशेष सचिव एवं महानिदेशक

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****CORRIGENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2020

**Case No. CVD-08/2020****Subject:- Countervailing Duty Investigation concerning imports of Copper Tubes and Pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam**

**F. No. 04/10/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority hereby makes the following correction in the initiation notification issued vide notification No. 04/10/2020-DGTR dated 25<sup>th</sup> September 2020, in respect of subject Anti-Subsidy investigation.

2. The paragraph 4 of the said notification shall be substituted to read as under:

*4. The product is classified under Chapter 74 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under customs heading 74111000, 74112100, 74112200 and 74112900. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of this investigation."*

B.B. SWAIN, Spl. Secy. &amp; Director General